करोना से टोंक में एक संक्रमित की मौत

राज्य में गुरूवार को 31 नए मरीज मिले हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन गुरूवार को करोना से एक और संक्रमित की मौत हुई है। वहीं इस बीच राज्य में 31 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि पिछले चौबीस घंटों में रिकवरी अधिक होने से एक्टिव केस घटकर ढाई सौ से कम रह गए हैं।

प्रदेश में गुरूवार को टोंक में करोना से एक मरीज की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को बीकानेर में भी एक संक्रमित ने दम तोड़ा था। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9648 लोगों की जान जा चुकी है। इधर पिछले चौबीस घंटों में राज्य के 9 जिलों में 31 नए संक्रमित मिले हैं। आज भी सबसे ज्यादा 16 नए संक्रमित जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा बीकानेर, चित्तौड़गढ़ व कोटा में 3-3, सीकर में 2 तथा डूंगरपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ और टोंक में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 5934 जांचे की गई है।

- **पिछले चौबीस घंटों में सर्वाधिक 16 नए संक्रमित जयपुर में सामने आए हैं**

प्रदेश में गुरूवार को भी नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी हुई है। इस दौरान राज्य में 78 मरीज ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 247 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में भी आज 36 संक्रमितों के रिकवर होने से एक्टिव केस घटकर 57 रह गए हैं।

राजधानी जयपुर में गुरूवार को 12 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें चाकसूं में तथा सिविल लाइंस, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, गोविंदगढ़, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, कोटपूतली, फागी, सोड़ाला और विद्याधर नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 4 संक्रमितों का पता गलत मिला है।

सौम्या को मेयर पद से बर्खास्त करने का आदेश रद्द

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह गत दस अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सौम्या को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देकर नए सिरे से आदेश जारी करे

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को राहत देते हुए राज्य सरकार के गत 27 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को ग्रेटर निगम के मेयर पद से बर्खास्त कर दिया था। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह गत दस अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सौम्या को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देकर नए सिरे से आदेश जारी करे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब सौम्या को हटाने वाला राज्य सरकार का 27 सितंबर का आदेश ही अब अस्तित्व में नहीं है तो फिर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव करवाए जाने का भी कोई औचित्य नहीं है और ना ही इसके लिए अभी चुनाव हो सकते हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए।

मामले में बुधवार को बहस अधूरी रहने के कारण अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुबह करीब 10.40 बजे अदालत ने सौम्या को बिना सुने बर्खास्त करने वाले आदेश पर राज्य के एएजी अनिल मेहता को कहा कि वे सरकार से निर्देश प्राप्त कर बताएं कि वे 27 सितंबर का आदेश वापस ले रहे हैं या अदालत इसे रद्द करे।

- **अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब सौम्या को हटाने वाला राज्य सरकार का 27 सितंबर का आदेश ही अब अस्तित्व में नहीं है तो फिर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव करवाए जाने का भी कोई औचित्य नहीं है और ना ही इसके लिए अभी चुनाव हो सकते हैं**

इसके साथ ही अदालत ने सुनवाई आधे घंटे टाल दी। वहीं बाद में वापस शुरू हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वह 10 अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को नोटिस देकर उसे सुनवाई का मौका देते हुए नए सिरे से आदेश जारी करेंगे। ऐसे में याचिका निस्तारित कर दी जाए।

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है और याचिकाकर्ता को सुने बिना उसे मेयर पद से बर्खास्त किया है, जो गलत है। इसलिए राज्य सरकार के बर्खास्तगी वाले आदेश को रद्द किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सौम्या को बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल सौम्या ने अपनी याचिका में उसे मेयर पद से हटाने और छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने के साथ ही वार्ड में उप चुनाव करवाए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उधर हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सौम्या गुर्जर ने कहा "मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था, वह आज भी कायम हैं और आगे भी रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जीत सत्य की होगी।"

अदालती फैसला कांग्रेस सरकार के मुंह पर तमाचा : सतीश पूनियां

जयपुर (कासं)। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के चेहरे पर तमाचा पड़ा है। सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की चुनी हुई मेयर को हटाने की साजिश की। पूनिया ने कहा किसी भी हालत में जयपुर ग्रेटर मेयर तो बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, मेजोरिटी को किसी भी सूरत में कांग्रेस नकार नहीं सकती है।

बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होकर पूनिया ने कहा कि सरकार तो बदले और बदनीयती की राजनीति शुरू से कर रही थी। पिछले 2 वर्षों से जयपुर के साथ अन्याय किया। जयपुर समेत बीजेपी के जितने निकाय थे, उनको बिना वजह डिस्टर्ब करने का काम किया। विकास में बाधा बनी। वहां पर राजनीतिक षडयंत्र रचे। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हुए और उन्हें सफलता नहीं मिली तो पीछे से दरवाजे से अपने लोगों को काबिज करने की कोशिश की। अब कोर्ट ने एक तरीके का फैसला लिया है, इसका रिजल्ट किस रूप में आता है यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पार्टी का पूरा पार्षद दल एकजुट था। सबने मतदान किया। काउंटिंग बाकी थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने उसे रोका है। आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, वो तो कोर्ट और चुनाव आयोग तय करेंगे। लेकिन जैसी भी परिस्थिति रहेगी पार्टी उसका आंकलन करके आगे बढ़ेगी।

- **उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि "न्यायालय के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं!" गहलोत सरकार की खोटी नीति और नीयत का पर्दाफाश हुआ है।**

सौम्या गुर्जर को सुनवाई का पूरा मौका देने के कोर्ट के आदेश पर पूनिया ने कहा अगर सरकार की नीयत साफ होती तो इस तरह के एपिसोड नहीं होते। कोर्ट क्या करता है, आगे वह क्या कार्रवाई करेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसलिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। कुल मिलाकर इससे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई है। पूनिया ने कहा किसी भी हालत में मेयर तो बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि हमारी मेजोरिटी है। हमारा बहुमत है, जिसे चाह कर भी वो किसी भी तरह से नकार है। सकते है।

वहीं दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं! गहलोत सरकार की खोटी नीति और नीयत का पर्दाफाश हुआ है। राज्य सरकार ने नौकरशाही का बेवजह इस्तेमाल करते हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर को अपदस्थ करने के साथ ही 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की साजिश रची थी। न्यायालय के निर्णय ने यह साबित कर दिया कि सरकार ने विपक्षी पार्टी भाजपा के लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए मेयर, जिला प्रमुख, सभापति व प्रधानों को किस तरह से अपदस्थ करने की साजिश नौकरशाही के दम पर रची जा रही है।

नेताओं की घेराबंदी के बीच वोट डालने नगर निगम पहुंचे पार्षद

जयपुर। ग्रेटर नगर निगम के महापौर उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानियां में से मेयर चुनने के लिए भाजपा-कांग्रेस के पार्षद नेताओं की घेराबंदी के बीच नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, कई भाजपा पार्षद माथे पर राधे लिखकर वोट देने पहुंचे।

पार्टी की मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी भी कुछ इसी अंदाज में मतदान करने पहुंची। सबसे पहले कांग्रेसी पार्षद वोट करने पहुंचे थे। इसके बाद भाजपा पार्षदों को पार्टी के बड़े नेता बाड़ेबंदी से निकालकर लाए। कांग्रेस के पार्षदों को चार-चार के बैच में वोटिग करने भेजा गया। जबकि भाजपा के पार्षदों को दो-दो की संख्या में मतदान करने के लिए अंदर भेजा। इससे पहले सुबह बाड़ेबंदी से कांग्रेस पार्षदों को एक बस में नगर निगम लाया गया। वहीं, करीब 11 बजे भाजपा पार्षदों की बस भी मतदान स्थल पहुंची।

कांग्रेस ने मेयर पद के लिए हेमा सिघानिया को जबकि भाजपा ने रश्मि सैनी को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले बुधवार देर रात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया होटल में पार्षदों से मिलने पहुंचे थे। मतदान कर बाहर निकलीं महिला पार्षदों ने विक्ट्री साइन बनाया। ग्रेटर नगर निगम में चुनाव के लिए दोनों पार्टी के बड़े नेता लगातार सक्रिय रहे।

विधायक अशोक लाहोटी, कालीचरण सराफ, नरपत सिह राजवी, रामलाल शर्मा, पूर्व मंत्री और विधायक रहे राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा अपने-अपने क्षेत्र के पार्षदों को एकजुट करने में लगे। सभी ने पार्षदों से साफ कह दिया था कि यह हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं, कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी भी की थी। हालांकि, उनकी बाड़ेबंदी में अधिक सख्ती दिखाई नहीं दी थी।

ज्ञात रहे कि आज से ठीक 2 साल पहले यानी 10 नवंबर 2020 को ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर के चुनाव हुए थे। तब भाजपा से सौम्या गुर्जर उम्मीदवार थी, जबकि कांग्रेस से दिव्या सिंह। इन चुनावों में सौम्या गुर्जर को 150 में से 97 वोट मिले थे, जबकि दिव्या सिंह को 53 वोट। इस तरह सौम्या 44 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करते हुए नगर निगम ग्रेटर की पहली मेयर बनी थी।

सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं की कमर तोड़ी : राठौड़

जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि अपने नीतिगत दस्तावेज जनघोषणा पत्र में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का दावा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने पिछले दरवाजे से एक बार फिर महंगी दरों पर कोयला खरीदने के नाम पर प्रदेश के 1 करोड़ 42 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 21 पैसे अतिरिक्त प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज के हिसाब से 375 करोड़ रुपये का जोरदार झटका देने का निर्णय किया है जिसकी वसूली आगामी नवंबर और दिसंबर 2022 के बिलों में की जायेगी। सरकार ने दीपावली के त्यौहार व शादी के अवसर पर फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश निकालकर विद्युत उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने और महंगाई का चाबुक चलाने का काम किया है।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्षीय कार्यकाल में अब तक फ्यूल सरचार्ज के रूप में औसतन 69 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर लादा जा चुका है जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज मात्र 18 पैसे प्रति यूनिट था। राज्य सरकार बिजली कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार कर महंगी दरों पर बिजली व कोयला खरीद, कृषि कनेक्शन देने के टर्नकी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और चहेती निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए निरंतर उपभोक्ताओं की जेब काट रही है वहीं दूसरी ओर संस्थागत भ्रष्टाचार का तांडव मचाकर जमकर चांदी कूट रही है। राठौड़ ने कहा कि कोयले के अतिरिक्त ब्रिज लिंकेज के माध्यम से विभिन्न निजी कोयला उत्पादन कंपनियों को विद्युत उत्पादन निगम पूर्व में आवंटित कोल ब्लॉकों से 40 फीसदी अधिक महंगी दर पर खरीदकर उसकी धुलाई के नाम पर वाशरी ऑपरेटरों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार का ताना-बाना बुनने का काम कर रहा है। कोयले की धुलाई के कारण बिजली उत्पादन भी 40 पैसे प्रति यूनिट मंहगा पड़ रहा है।

कार्यालय नगर निगम अजमेर

पी.आर मार्ग अजमेरपिन कोड -305001 Phone No. 0145-2429971, 2429920
Email Id-ajmermc@gmail.com Website https://urban.rajasthan.gov.in/mcajmer

क्रमांक : ननिअ/69-ए/PSKS/आपत्ति सूचना/2022 — दिनांक 10.11.2022

आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदको द्वारा नीचे वर्णित भुमि में अपने अधिकार के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष अभ्यर्पित कर दिए है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र सं	आवेदक का नाम	कोलौंनी /योजना /स्थल का विवरण
1	श्रीमति मैना देवी/ श्री कानाराम माली	सूर्य नगर गडडी मालियान थोक मालियान/वार्ड 35
2	श्रीमति कांता देवी/ श्री ओमप्रकाश माली	गडडी मालियान थोक मालियान अजमेर/वार्ड 35
3	श्री महेन्द्र रावत/ श्री बिशन नारायण रावत	594/27 सुशीला सदन रामगंज ब्यावर रोड अजमेर/वार्ड 35
4	श्रीमति मनोहर/ श्री महावीर	गडडी मालियान थोक मालियान अजमेर/वार्ड 35
5	श्रीमति सन्तोष/ श्री रामस्वरूप	गडडी मालियान थोक मालियान अजमेर/वार्ड 35
6	श्री दिनेश शर्मा/ श्री रामबाबू शर्मा	34 माधव नगर के अन्दर आदर्श नगर अजमेर/वार्ड 39
7	श्री विश्वजीत/ स्व. श्री निरमे सिंह	गॉव कल्याणीपुरा अजमेर/वार्ड 53
8	श्री जीवन राम गुर्जर/ श्री मांगी लाल गुर्जर	गुर्जर मौहल्ला कल्याणीपुरा अजमेर/वार्ड 53
9	श्री कन्हैया लाल गुर्जर/ श्री सुखपाल गुर्जर	गुर्जर मौहल्ला कल्याणीपुरा अजमेर/वार्ड 53
10	श्री लक्ष्मण सिंह गुर्जर/ स्व. श्री छोटू गुर्जर	1323/45 गुर्जर मौहल्ला कल्याणीपुरा अजमेर
11	श्री हुकुम चन्द गुर्जर/ श्री बलदेव	गुर्जर मौहल्ला कल्याणीपुरा अजमेर/वार्ड 53
12	श्री मान सिंह/ स्व. श्री चौथमल	दयाल बिडडी फैक्ट्री पाल बिछला धानका बस्ती अजमेर/वार्ड 58
13	श्री मान सिंह/ श्री चौथमल	231/34, दयाल बिडि फैक्ट्री के पास पाल बिछला धानका बस्ती अजमेर/वार्ड 58
14	श्रीमती सीमा देवी/ श्री हरीश कुमार	258/34, दयाल बिडी फेक्टरी के पास पाल बिचला अजमेर/वार्ड 58
15	इस्लाम खान/ स्व. अब्दुल हामिद खान	1078, मुस्लिम कॉलोनी श्रीनगर रोड गुलाबबाडी अजमेर/वार्ड 56
16	स्टुवर्ड विजय कुमार/ स्त्रेनली रोबार्ट	रोबार्ट कम्पांड क्रिश्चयगंज आनासागर रोड अजमेर/वार्ड 73
17	श्री प्रशान्त सिंह रावत/ श्री राजेन्द्र सिंह रावत	गॉव कांकरदा भूणाबाय अजमेर/वार्ड 61
18	श्री मनीष अजमेरा/ स्व. श्री नेमीचन्द अजमेरा	ए.एम.सी 93/10 444 ए मिशन प्रेस के पिछे सिविल लाईन्स अजमेर/वार्ड 65
19	श्री दिलीप सिंह चाँदावत/ स्व. श्री करण सिंह चाँदावत	1494/3 कमला निकेतन, भोपो का बाडा अजमेर/वार्ड 64
20	श्री सत्यनारायण गर्ग/ स्व. श्री राम गोपाल	ए.एम.सी न. 1/13 पटटी कटला गणेश चौक अजमेर/वार्ड 69
21	श्रीमति जमीला/ श्री पहाडो	मस्जिद के पास नौसा रातीडाग अजमेर/वार्ड 80
22	श्रीमती जकिया बेगम/ स्व. श्री सोहन लाल शर्मा	797/55 मित्र नगर रातीडांग रोड एम.पी.एस स्कूल के पीछे वैशाली नगर अजमेर/वार्ड 80
23	सद्दाम खां/ रहमान खां	रातीडांग नौसर अजमेर/वार्ड 80
24	रज्जाक खान/ सुआखान	227 रातिडांग मस्जिद के सामने की गली वैशाली नगर अजमेर/वार्ड 80
25	श्रीमति नजमा बानो/ श्री अजीज खान	अकसद मस्जिद के सामने हताई चौक रातीडांग अजमेर/वार्ड 80
26	श्री साबिर खान/ श्री भंवर खान	रातिडांग नौसर अजमेर/वार्ड 80
27	श्री कमरूद्दीन/ श्री भोमा खान	रातिडांग नौसर अजमेर/वार्ड 80
28	श्री साजन खान/ श्री लादू खान	ईदगाह कॉलोनी शिव जी पथ बाना की दुकान के पास गली न. 2 अजमेर
29	श्री सतार खान/ श्री समदा जी	रातिडांग नौसर अजमेर
30	श्री पप्पू खान/ श्री कमरू खान	रातिडांग नौसर अजमेर
31	श्री शोकत खान/ श्री भोजाखान	ग्राम रातिडांग अजमेर
32	शहजाद/ गनी खान	मक्का मस्जिद के पास रातिडांग अजमेर
33	श्री रमेश घन्द राजोरिया/ श्री ग्यारसी लाल राजोरिया	भगवानगंज रामबाग अजमेर
34	श्री रमेश चन्द राजोरिया/ श्री ग्यारसी लाल राजोरिया	भगवानगंज रामबाग अजमेर
35	श्री गोविन्द राम/ श्री भगवान	नाई मौहल्ला लाखन कोटडी अजमेर/वार्ड 10
36	श्रीमती सीता देवी/ श्री दुर्गा प्रसाद साहु	नाई मौहल्ला लाखन कोटडी अजमेर/वार्ड 10
37	श्री सत्यनारायण साहु/ श्री भगवान दास	603/22 लाखन कोटडी नाई मौहल्ला/वार्ड 10
38	श्रीमती अनिता कोशल/ श्री कैलाश चंद कोशल	191/3 विजय आईसक्रीम के पास कुमार बावडी लाखन कोटडी अजमेर/वार्ड 10
39	श्रीमती लक्ष्मी देवी साहू/ श्री मिठू लाल साहू	586/42 धावा भवन ममैयो का चोक, लाखन कोटडी अजमेर/वार्ड 10
40	श्री प्रकाश चन्द कौशल/ श्री भरोसीलाल कौशल	191, कुम्हार बावाडी, लोगिया रोड आइस फैक्ट्री के पास अजमेर/वार्ड 10
41	श्री रमेश चन्द कौशल/ श्री भरोसीलाल	191,/3 कुम्हार बावाडी, लोगिया रोड आइस फैक्ट्री के पास अजमेर/वार्ड 10
42	श्री गोरीशंकर श्री अनिल श्री सुनिल/ स्व. श्री ओमप्रकाश	कुम्हार मौहल्ला लाखन कोटडी /वार्ड 10
43	श्रीमती सरोज/ श्री रामदयाल	जवाहर की नाडी एच.एम.टी के पीछे अजमेर/वार्ड 31
44	श्री सैय्यद ईरशाद अली/ श्री सैय्यद अब्दुल रज्जाक	ख्वाजा मंजिल लोबान चोक मोती कट्ला दरगाह अजमेर/वार्ड 70

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-ए, के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के नगर निगम के पक्ष में भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त पत्रावलियो की विस्तृत लोक सूचना नगर निगम अजमेर की वेबसाईट https://urban.rajasthan.gov.in/mcajmer देखी जा सकती है।

उपयुक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले के तद्नुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज दिनांक 10.11.2022 को जारी की गई।

प्रभारी अधिकारी
नगर निगम अजमेर

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना

बईजलासश्रीमती डॉ. सरिता स्वामी, आर.एच.जे.एस.
दीवानी विधि प्रकरण :- भारतीय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संख्या 24/2022

प्रार्थीगण :-
1-गुमान कंवर पत्नी स्व. विक्रम सिंह उम्र 50 साल
2. सुमन चौधरी पुत्री स्व0 विक्रमसिंह उम्र 29 साल
3- रविन्द्र जेवलिया पुत्र स्व0 विक्रम सिंह उम्र 23 साल
जातिगण जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.

बनाम

सर्व साधारण

प्रार्थना-पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 372 भा.उ.अधि.
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर जाहिर किया गया है कि प्रार्थीगण पति/पिता स्व0 विक्रम सिंह जाति जाट निवासी कोलिया तहसील डीडवाना का देहावसान दिनांक 15.05.2022 को हो गया है। स्व. विक्रम सिंह के नाम से अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डीडवाना में अमानत राशी व जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन में स्व0 विक्रम सिंह चौधरी के स्थान पर उत्तराधिरी प्रार्थीगण के नाम व अन्य प्रयोजनार्थ भी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी करवाना चाहते हैं। जिसके लिए प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, यदि किसी को इस संबंध में कोई उजर आपत्ति क्लैम हो या कोई अधिकार रखता हो तो वह दिनांक 9/12/22 को न्यायालय समय 10:30 स्वयं या अपने अधिकृत एजेन्ट/अधिवक्ता के जरिये प्रस्तुत करें। अन्यथा प्रार्थीगण का उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने की आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। यह नोटिस आज दिनांक 15/10/22 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा के अधीन जारी किया गया है।

आदेशानुसार, वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डीडवाना (नागौर)

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना

बईजलासश्रीमती डॉ. सरिता स्वामी, आर.एच.जे.एस.
दीवानी विधि प्रकरण :- भारतीय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संख्या 26/2022

प्रार्थीगण :-
1. रामदयाल जाट पुत्र श्री गणेशाराम जाट उम्र 65 साल
2. भंवरी देवी पत्नी रामदयाल जाट उम्र 63 साल
समस्त निवासी गण ओडिन्ट तहसील लाडनूं जिला नागौर राज.

ब ना म

सर्व साधारण

प्रार्थना-पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 372 भा.उ.अधि.
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोत्त प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर जाहिर किया गया है कि प्रार्थीगण के पुत्र स्व. योगेश रामदयाल जाट पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ओडिन्ट तहसील लाडनूं का देहवसान दिनांक 09.08.2022 को हो गया है। स्व. योगेश रामदयाल जाट के नाम से HDFC Bank Ltd. Having SB, Dmace, Sip, Insurance Other Bank Products Like FD/RD etc. SB Account 11161000011185 के पत्र में बैंक से संबंधित अमानत राशी 22,082,31 रूपये निस्तारण हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र वांछित है। में स्व. योगेश रामदयाल जाट के स्थान पर उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के नाम व अन्य प्रयोजनार्थ भी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी करवाना चाहते हैं। जिसके लिए प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, यदि किसी को इस संबंध में कोई उजर आपत्ति क्लैम हो या कोई अधिकार रखता हो तो वह दिनाक 28.11.22 को न्यायालय समय 10.00 स्वयं या अपने अधिकृत एजेन्ट/अधिवक्ता के जरिये प्रस्तुत करें। अन्यथा प्रार्थीगण को उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने की आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। यह नोटिस आज दिनांक 21.10.22 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा के अधीन जारी किया गया है।

आदेशानुसार, वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डीडवाना (नागौर)

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

आम सूचना

क्रमांक/नियमन /22-238387 — दिनांक 4/11/22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री सब्बालाल पुत्र श्री सोजीलाल निवासी नारायण नगर, नून्द्री मालदेव, ब्यावर ने राजस्व ग्राम नून्द्री मालदेव के खसरा नम्बर 975 में स्थित नारायण नगर कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 141.00 वर्गगज भूमि के आवासीय पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ सलग्न कतई बेचान करार पत्र अंपजीकृत है उक्त अपंजीकृत कतई बेचान करार पत्र के आधार पर भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 141.00 वर्गगज का पट्टा विलेख जारी करने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नही होगी।

सीमायें (साईट प्लान के अनुसार)
पूर्व : रोड 20 फीट — पश्चिम : प्लाट नं. 31
उत्तर : अन्य की भूमि — दक्षिण : रोड 20 फीट

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चन्द्रबरदाई नगर योजना के आवासीय भूखण्ड सुंख्या सी-171 क्षेत्रफल 213.33 वर्गगज के अन्तरिति स्व. श्री मुरारी लाल उचेनिया पुत्र श्री नारायण उचेनिया निवासी सी-171, चन्द्रबरदाई नगर, अजमेर की मृत्यु दिनांक 30/09/2022 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्री उमेश उचेनिया व सुश्री हर्षिता उचेनिया पुत्र/पुत्री स्व. श्री मुरारी लाल उचेनिया निवासी सी-171, चन्द्रबरदाई नगर, अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती निर्मला उचेनिया पत्नि स्व. श्री मुरारी लाल उचेनिया निवासी सी-171, चन्द्रबरदाई नगर, अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 11/10/2022 व 27/10/2022 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

pnb

मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर, रेती स्टैंड, उदयपुर राजस्थान, फोन नं.: 0294 -2688030, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

सर्व-साधारण को और विशेष रूप से ऋणियों/जमानतदारों को विशेषत: यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो बैंक/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का अधिग्रहण रचनात्मक/ भौतिक/ प्रतीकात्मक रूप से **पंजाब नैशनल बैंक** प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि, ऋणियों/ जमानतदारों से **पंजाब नैशनल बैंक** प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि (धरोहर राशि) संबंधित सम्पत्तियों के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

सुरक्षित सम्पत्तियों की अनुसूची

लोट नं.	शाखा कार्यालय / खाते का नाम / ऋणियों/जमानतियों का नाम व पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्ता का नाम)	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक (बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक (सी) कब्जा दिनांक (डी) कब्जे का प्रतीक प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	(ए) आरक्षित मूल्य (रूपये लाखों में) (बी) धरोहर राशि /अन्तिम तिथि (सी) बोली वृद्धि राशि (डी) सम्पत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय	ई-नीलामी दिनांक व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
1	**गांधी नगर पुर रोड़ शाखा, भीलवाड़ा** **मैसर्स शिव शक्ति सर्विस पोइंट, प्रोपराईटर श्री बनवारी लाल पारीक पुत्र श्री गेहरी लाल पारीक** **मैसर्स शिव शक्ति सर्विस पोइंट, प्रोपराईटर श्री बनवारी लाल पारीक पुत्र श्री गेहरी लाल पारीक** मकान नं. 365, सैकेन्डरी स्कूल के पास, पिथास, मांडल, भीलवाड़ा- 311001 एवं लिलेन्ड चौराहा, पुर रोड़, भीलवाड़ा-311001 एवं 277, वार्ड नं. 5, पिथास, भीलवाड़ा, राजस्थान-311802 एवं पट्टा नं. 3, बागौर (गौदास) रोड़, गांव पिथास, तहसील मांडल, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001 **जमानतदार-श्री प्रकाश चंद कोठारी पुत्र श्री कनकमल कोठारी** 213, पिथास, मांडल, भीलवाड़ा-311001	श्री बनवारी लाल पारीक पुत्र श्री गेहरी लाल पारीक के नाम आवासीय सम्पत्ति जो पट्टा नं. 3, बागौर (गौदास) रोड़, गांव पिथास, तहसील मांडल, भीलवाड़ा, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5239.06 वर्ग फीट है। सीमाएं-उत्तर: रोड़, दक्षिण: श्री रतन जी पटवारी का मकान, पूर्व: अमरगढ़ रोड़, पश्चिम: श्री गोपाल तेली का मकान	(ए) 09.03.2022 (बी) रू. 6,37,309.97 दिनांक 28.02.2022 को बकाया व आगे का ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान तक (सी) 03.06.2022 (डी) प्रतीकात्मक कब्जा	(ए) रूपये 30,03,000/- (बी) रूपये 3,00,300/- (25.11.2022) (सी) रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र) (डी) 23.11.2022 सुबह 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक	28.11.2022 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक	ज्ञात नही
2	**गांधी नगर पुर रोड़ शाखा, भीलवाड़ा** **मैसर्स मारूति ब्रिक्स पार्टनर्स - श्री हेमराज खटीक पुत्र श्री राम प्रसाद खटीक एवं श्री मेवालाल खटीक पुत्र श्री मगना खटीक** **मैसर्स मारूति ब्रिक्स** रजि. ऑफिस: गाँव-सोदास, जाली चौराहा, करेड़ा रोड़, तहसील-आसींद, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001 फैक्ट्री: आराजी नं. 392/97, गाँव-मालनास, पंचायत जिंदरास, तहसील - आसींद, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001 पार्टनर्स- **(1) श्री हेमराज खटीक पुत्र श्री राम प्रसाद खटीक** 403, सांगानेरी गेट के पास, प्रेमनगर, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001 **(2) श्री मेवालाल खटीक पुत्र श्री मगना खटीक** मोड़ का निम्बाहेडा, तहसील-आसींद, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001 **जमानतदार: श्री नेमी चंद खटीक पुत्र श्री सोहनलाल खटीक** मोड़ का निम्बाहेडा, तहसील-आसींद, भीलवाड़ा, राजस्थान	श्री मेवा लाल खटीक पुत्र श्री मगना खटीक के नाम औद्योगिक भूमि एवं भवन (ईंट भट्टा) परिवर्तित प्लॉट भूमि आराजी नं. 89, 396/93, 397/94 एवं 95, 97 (न्यू आराजी नं. 391/95, 392/97) क्षेत्रफल 12814 वर्ग मीटर जो गाँव - मालनास, ग्राम पंचायत-जिंदरास, तहसील -आसींद, जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001 पर स्थित है। सीमाएं-पूर्व: रोड़, पश्चिम: श्री नानूराम रेगर कि कृषि भूमि, उत्तर: श्री गोपाल जी शर्मा कि कृषि भूमि, दक्षिण: स्वयं कि कृषि भूमि एवं उसके बाद बलाई के आराजी	(ए) 20.07.2019 (बी) रू. 24,27,547.50 दिनांक 12.07.2019 को बकाया व आगे का ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान तक (सी) 01.10.2019 (डी) प्रतीकात्मक कब्जा	(ए) रूपये 55,74,000/- (बी) रूपये 5,57,400/- (25.11.2022) (सी) रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र) (डी) 23.11.2022 सुबह 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक	28.11.2022 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक	ज्ञात नही
3	**नागौरी गार्डन शाखा भीलवाड़ा** **श्री मुकेश कुमार सोनी पुत्र श्री माणक चन्द एवं श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी श्री मुकेश कुमार सोनी** **श्री मुकेश कुमार सोनी पुत्र श्री माणक चन्द एवं श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी श्री मुकेश कुमार सोनी** बी-28, श्रीनाथ मार्ग के अन्दर, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001	श्री मुकेश कुमार सोनी पुत्र श्री माणक चन्द के नाम आवासीय प्लॉट नं. 66, 67 जो ज्योति नगर विस्तार योजना, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 50' X 40' कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट है। सीमाएं-उत्तर: अन्य आराजी, दक्षिण: रोड़ 30 फीट, पूर्व: प्लॉट नं. 65, पश्चिम: प्लॉट नं. 68	(ए) 31.05.2021 (बी) रू 25,21,725.48 दिनांक 31.03.2021 को बकाया व आगे का ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान तक (सी) 19.10.2021 (डी) प्रतीकात्मक कब्जा	(ए) रूपये 27,00,000/- (बी) रूपये 2,70,000/- (25.11.2022) (सी) रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र) (डी) 23.11.2022 सुबह 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक	28.11.2022 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक	ज्ञात नही

शर्तें व निबन्धन-बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों को **"जो जहाँ है, जो जैसा है, और जो कुछ भी है"** के रूप में बेचा जाएगा। **2.** इस अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की प्राप्त पूर्ण जानकारी के अनुसार ही प्रतिभूत आस्तियों को उपर दिखाई गई तालिका के अनुसार बेचा जाएगा, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. उपरोक्त बिक्री https://www.mstcecommerce.com की वेबसाइट पर **दिनांक 28.11.2022** को उपरोक्त तालिका में दर्शाएं गए समय अनुसार ई नीलामी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। **4.** विक्रय की विस्तृत जानकारी हेतु व निबन्धन और शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app एवं www.pnbindia.in देखें।

हस्ता.
दिनांक: 04.11.2022, स्थान: उदयपुर — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधीन 15 दिन की विक्रय की वैधानिक सूचना